

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - सी संख्या - 1770 वर्ष 2026

इशतियाक अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भारत के अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे को सुना।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित मुख्य अनुतोष हेतु दाखिल की गई है:

"1. मैडमस/परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा अपने पासपोर्ट को पुनः जारी करवाने हेतु दाखिल आवेदन पर उचित कार्रवाई करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में एक पासपोर्ट जारी करें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकरण का निस्तारण इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ और 2 अन्य** (रिट-सी संख्या 41540 वर्ष 2023; **न्यूट्रल साइटेशन संख्या-2024:एएचसी:9963-डीबी** प्रकरण में दिए गए निर्णय के आलोक में किया जाए। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध पुलिस थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ में धारा 323, 504, 506, 336, 452 और 427 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा अपराध संख्या 115 वर्ष 2019 लंबित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रत्यर्थी(गण) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे द्वारा खंडन किया गया है। उनका तर्क है कि **पवन कुमार राजभर (उपर्युक्त)** के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रीता वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य** (याचिका/विशेष अनुज्ञा अपील (सी) संख्या 7481 वर्ष 2024) के प्रकरण में दिनांक 20.09.2024 के निर्णय और आदेश के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है।

5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि **श्रीमती रीता वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य**; रिट-सी संख्या 6450, 2024; न्यूट्रल साइटेशन संख्या 2024:एएचसी:35201-डीबी में इस न्यायालय की खंडपीठ ने **पवन कुमार राजभर (उपर्युक्त)** के सिद्धांत को दोहराया था। तथापि, दिनांक 10.10.2019

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

के ज़ापन संख्या VI/401/1/5/2019 के संबंध में संपूर्ण स्थिति की जांच करने के पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रीता वर्मा (उपर्युक्त) में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:-

4. ज़ापन में स्पष्ट शब्दों के बावजूद उच्च न्यायालय ने इस मामले में चुनौती दिए गए आदेश के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि यह कार्यालय ज़ापन वैधानिक स्थिति के विपरीत है, और तदनुसार रिट याचिका को खारिज कर दिया।

5. हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश श्री मलक मनीष भट्ट और साथ ही भारत संघ की ओर से पेश विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज के तर्कों को सुना। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने जो दृष्टिकोण अपनाया है कि कार्यालय ज़ापन वैधानिक स्थितियों के विपरीत है, विधि द्वारा समर्थित नहीं है, और यह भारत संघ का भी रुख नहीं है वह सही नहीं है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कार्यालय ज़ापन के आधार पर अपीलकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई व्यक्त नहीं की।

6. इस प्रकरण को देखते हुए हमारे लिए अधिकारियों को यह निर्देश देना ही पर्याप्त है कि वे 10.10.2019 के कार्यालय ज़ापन या इस क्षेत्र से संबंधित किसी भी अन्य बाद के कार्यालय ज़ापन के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण के आवेदन पर विचार करें; भले ही उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 6450 वर्ष 2024 में 28.02.2024 को कोई आदेश पारित किया हो। उचित आवेदन किए जाने पर उसका निस्तारण यथाशीघ्र किया जाएगा।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में हमारा यह मत है कि अधिकारियों को याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के पुनः जारी किए जाने के आवेदन पर दिनांक 10.10.2019 के कार्यालय ज़ापन या इस विषय पर लागू होने वाले किसी अन्य बाद के कार्यालय ज़ापन के आधार पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रीता वर्मा (उपर्युक्त)** के प्रकरण में इस मुद्दे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया है। माननीय सर्वोच्च

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

न्यायालय द्वारा **रीता वर्मा (उपरोक्त)** के प्रकरण में निर्धारित विधि वर्तमान प्रकरण पर भी लागू होगी, अतः हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे इस विषय वस्तु पर विधि के अनुसार त्वरित कार्रवाई करें।

7. उपर्युक्त निर्देश के साथ रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

30 मार्च 2026

प्रवीन

(न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ) (न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधर)

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”